

पंजीकृत / ई-मेल

कार्यालय परिवहन आयुक्त  
उत्तर प्रदेश।

संख्या— 4533 ई/2017-371ई/जीपीटी/85-08

लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर,

2017

“कार्यालय—आदेश”

परिवहन आयुक्त संगठन के यात्री/मालकर अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय आदेश संख्या—3473ई/2015-371ई/जीपीटी/85-08, दिनांक 11.09.2015 द्वारा क्रमांक—01 से 98 तक अन्तिम रूप से जारी की गयी थी।

2— उक्त ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष श्री विजय किशोर आनन्द व अन्य द्वारा रिट याचिका संख्या—1802(एस/बी)2015 विजय किशोर आनन्द व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसको मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 13.04.2017 को allow करते हुए आदेश पारित किये गये, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत हैः—

Therefore, we are of the view that since the decision taken by the State Government for restructuring the post and placing the Passenger Tax Superintendent at par with the Tax Officer has not been inserted in the Rules, the private respondents, who are posted as Passenger Tax Officers, have no right to be placed in the seniority list of Passenger Tax and Goods Tax Officers amongst the petitioners.

.In the result, the office order dated 11.9.2015 issued by the Transport Commissioner, State of U.P., is hereby quashed and a direction is issued to the State Government to prepare a seniority list of Passenger Tax, Goods Tax Officer afresh within two months from the date of communication of this order.

The writ petition stands allowed.

3— मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या—1439ई/ 2017-53ई/या०/2015, दिनांक 02.05.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान अधीनस्थ सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन), 2017 को यथाशीघ्र प्रख्यापित कराने हेतु शासन से पुनः अनुरोध किया गया। पुन इस कार्यालय के पत्र संख्या—3017ई/2017-53ई/या०/2015, दिनांक 07.07.2017 द्वारा शासन से उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान अधीनस्थ सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन), 2017 को यथाशीघ्र प्रख्यापित कराने हेतु अनुरोध किया गया।

4— डा० प्रतिज्ञा श्रीवास्तव व अन्य यात्रीकर अधिकारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या—ए-23347/2017 योजित की गयीं। प्रश्नगत रिट याचिका में याचीणों द्वारा उत्तर प्रदेश कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 में शासनादेश दिनांक 03.05.2011 द्वारा लिया गया निर्णय का संशोधन कराने की याचना की गयी है।

5— प्रश्नगत रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सुनवाई करते हुए दिनांक 19.08.2017 को निम्नवत आदेश पारित किये गये:—

By means of the present writ petition, the petitioners have prayed for issuing a writ of mandamus directing the respondent no.1 and their concerned authorities to take final decision in respect of amendment in the U.P. Transport Taxation (Subordinate) Service Rules, 1980 (hereinafter referred to as the Rules) in view of the Government Order dated 3.5.2011.

The petitioners, who happen to be Passenger/ Goods Tax Officers, are aggrieved by in-action of the State Government in amending the Rules pursuant to the Government Order dated 3.5.2011. It is submitted by Sri Khare that promotion on the post of Assistant Regional Transport Officer is being made through two feeding cadres, i.e. from amongst the Regional Inspector (Technical) and Passenger/ Goods Tax Officer. Below the post of Regional Inspectors (Technical) there happened to be a post of Assistant Regional Inspector (Technical) and below the post of Passenger /Goods Tax Officer there happened to be a post of Passenger/Goods Tax Superintendent. Vide Government Order dated 3.5.2011 the post of Assistant Regional Inspector (Technical) and by another order of the same date the post of Passenger/Goods Tax Superintendent were upgraded and merged with the post of Regional Inspector (Technical) and Passenger/Goods Tax Officer, consequently it was required through both the Government Orders to amend the Rules. Submission is that pursuant to the Government Order dated 3.5.2011 the Rules were amended with respect to Regional Inspector (Technical). So far as Rules with regard to the merger of the post of Passenger/Goods Tax Superintendent is concerned the Rules have not been amended till date.

Earlier learned standing counsel was directed to seek instructions or file a short counter affidavit. Pursuant thereto a short counter affidavit has been filed stating therein that Writ Petition No. 2811 (SS) of 2011 was filed before the Lucknow Bench of this Court and there an order of status quo was passed and because of that rules were not amended. However, this writ petition was subsequently withdrawn vide order dated 17.7.2015 and thereafter the proceeding has been started to amend the Rules.

Although the controversy involved in the Writ Petition No. 2811 (SS) of 2011 has not been detailed before this Court but what we gather from the averments made in the counter affidavit that before the Lucknow Bench of this Court the grievance was only to the extent not to make promotion till the rules are amended.

Learned standing counsel submitted that draft rules have been prepared in English and Hindi version. We are unable to swallow as to why the Government is moving like snail in amending the rules with respect to Passenger/ Goods Tax Officer.

From the perusal of the short counter affidavit filed on behalf of respondent nos. 1 and 2 it transpires that amendment in the Rules will take atleast 4-5 months. This short counter affidavit has been filed by Assistant Prosecution Officer (Transport) and not by a responsible officer of the State Government. This is very sorry state of affairs that the State Government is not giving any heed to its own order dated 3.5.2011 in order to amend the Rules taking shelter of the interim order passed by the Lucknow Bench of this Court whereas that order has never prevented the State Government from amending the Rules with respect to the petitioners, with the result all the officers falling in that category are suffering since long.

Considering the same, the Principal Secretary (Karmik) is directed to file his personal affidavit in this regard apprising the Court as to why Rules with respect to the petitioner have not been amended as yet pursuant to the Government Order dated 3.5.2011. It is expected of the State Government to amend the rule at the earliest possible time.

6— प्रश्नगत रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2017 को सुनवाई करते हुए निम्नवत आदेश पारित किये गये:—

Pursuant to the order dated 19.8.2017 passed by this Court, Sri Deepak Trivedi, Additional Chief Secretary (Personnel Department), Government of U.P., Lucknow has filed his personal affidavit informing this Court that nothing is pending before the Personnel Department and the Personnel Department has already vetted the Rules and sent back before the Principal Secretary (Transport), Government of U.P., Lucknow.

Learned Chief Standing Counsel submits that from the Office of the Principal Secretary (Transport), Government of U.P., Lucknow the file is to be sent before the Uttar Pradesh Public Service Commission and thereafter, it has to be sent before the Finance Department of the Government and thereafter, the same has to be put up before the Cabinet for its final approval.

Looking into the slow movement of the file since 2013, this Court desires to know as to what are the hurdles in the way of Transport Department in not sending the file before the Commission. In case there is no legal impediment, the file be sent before the Commission by the next date fixed in the matter.

7— उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग—3 के पत्र संख्या—2995 / तीस—3—17—24जीडब्लू/ 2017, दिनांक 28.09.2017 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2017 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में कार्मिक नियमावली सेल द्वारा सेवा नियमावली के आलेख के विधीक्षण के उपरान्त उक्त नियमावली के हिन्दी रूपान्तरण हेतु पत्रावली भाषा विभाग को भेजी गयी। भाषा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2017 के अंग्रेजी आलेख का हिन्दी में रूपान्तरण करते हुए आलेख को विधीकृत कर दिनांक 22.09.2017 को पत्रावली उपलब्ध करायी गयी, जिस पर आलेख की स्वच्छ प्रति टंकित कराकर नियमावली के संशोधन सम्बन्धी प्राविधान पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 26.09.2017 द्वारा सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2017 के प्रख्यापन की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिशील है।

8— रिट याचिका संख्या—1802(एस/बी) 2015 विजय किशोर आनन्द व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2017 को पारित आदेश का समर्यान्तर्गत अनुपालन न हो पाने के कारण याचीगणों द्वारा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ के समक्ष अवमाननावाद संख्या—1544(सी)/ 2017 योजित की गयी। जिसमें विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2017 को सुनवाई करते हुए आदेश पारित किये गये जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:—

From the perusal of judgment dated 13.04.2017 and the direction issued therein it is amply clear that a seniority list of Passenger Tax, Goods Tax Officers has to be drawn afresh in the spirit of the judgment rendered by this Court. Needless to say that this is without any prejudice to the ongoing process of merger of any other cadre with the cadre of passenger tax, goods tax officers but the cadres' strength comprising of substantive officers appointed as per rules looking to the mandate of Rule 9 of U.P. Government Servants Seniority Rules, 1991, the seniority list is bound to be

finalized without any further delay. As per court order this exercise had to be undergone within two months. More time than necessary has lapsed and  
judgment remains yet to be complied with.

The transport commissioner is present in person and has expressed his due concern looking to the lapse of time limit as prescribed but has assured the court that necessary exercise shall fall in place and shall be undertaken to implement the court order in its true spirit and context without any further delay.

Two weeks' time is granted to the competent officer i.e. Transport Commissioner to implement the judgment giving rise to this contempt proceedings.

List/put up on 15.11.2017. In the event of failure to obey the order passed, the officer concerned shall appear in person.

9— मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यात्री/मालकर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची निर्गत की जानी अनिवार्य हो गयी है चूंकि सितम्बर, 2015 में यात्री/मालकर अधिकारियों की जो ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी थी उसमें सीधी भर्ती के यात्री/मालकर अधिकारियों के साथ—साथ शासनादेश संख्या—1036 / तीस—3—11—11जीई/11, दिनांक 03.05.2011 द्वारा यात्री/मालकर अधीक्षक के पदों को यात्री/मालकर अधिकारी के पदों में संविलीनीकरण के पश्चात यात्री/मालकर अधीक्षकों से बने यात्री/मालकर अधिकारियों को भी सम्मिलित कर अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी थी, जिसे मा० उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित यात्री/मालकर अधिकारियों को खण्ड—1 के रूप में सूचीबद्ध करते हुए वरिष्ठता सूची (अनन्तिम) निर्गत की जा रही है।

10— छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में गठित वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग—1) में परिवहन विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों के कार्यान्वयन के क्रम में शासनादेश संख्या—1036 / तीस—3—11—11जीई/11, दिनांक 03.05.2011 द्वारा परिवहन आयुक्त संगठन के यात्री/मालकर अधीक्षक के पदों को यात्री/मालकर अधिकारी के पदों में संविलीन किया जा चुका है और यह संविलीनीकरण आदेश किसी न्यायालय अथवा शासन स्तर से निरस्त नहीं किया गया है और साथ ही तत्समय संविलीनीकरण के उपरान्त यात्री/मालकर अधीक्षकों द्वारा यात्री/मालकर अधिकारियों के पद पर योगदान दिया गया उसमें से कतिपय कार्मिक यात्री/मालकर अधिकारियों के पद से सेवानिवृत्त हो गये और वर्तमान में 68 कार्मिक यात्री/मालकर अधिकारी के रूप में तैनात है और यात्री/मालकर अधिकारी का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें खण्ड—2 में सूचीबद्ध किया गया है। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2017 के प्रख्यापन कर दिये जाने के पश्चात तदनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जायेगा।

11— उक्त के अतिरिक्त जून, 2017 में प्रशासनिक अधिकारी के पद से यात्री/मालकर अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से 02 अधिकारियों (श्री बंजरग बली एवं श्री उमा शंकर मिश्र) की पदोन्नति दिनांक 28.06.2017 द्वारा प्रदान की गयी है। इसलिए उपरोक्त दोनों श्रेणी से पृथक् खण्ड-3 के रूप में उन्हें रखा गया है। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2017 के प्रख्यापन कर दिये जाने के पश्चात तदनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित किया जायेगा।

12— मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या—1802(एस/बी)2015 में दिनांक 13.04.2017 को पारित आदेश एवं अवमाननावाद संख्या—1544(सी)/2017 में दिनांक 24.10.2017 को पारित आदेश के समादर में वर्ष 2013 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त यात्री/मालकर अधिकारियों (खण्ड-1) कमांक-1 से 11 तक, शासनादेश दिनांक 03.05.2011 द्वारा संविलीयन के उपरान्त कार्यरत यात्री/मालकर अधिकारी (खण्ड-2) कमांक-1 से 68 तक एवं यात्री/मालकर अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान अधीनस्थ सेवानियमावली, 1980 के अन्तर्गत पदोन्नति प्राप्त कर कार्यरत यात्री/मालकर अधिकारी कमांक-1 से 2 तक (खण्ड-3) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची संलग्न कर प्रसारित करते हुए समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को निर्देशित किया जाता है कि अपने सम्भाग/जनपद में कार्यरत समस्त यात्री/मालकर अधिकारियों को इसकी एक-एक प्रति प्राप्त कराते हुए उसकी प्राप्ति की रसीद अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि सम्बन्धित अधिकारी को कोई आपत्ति हो तो वे अपना प्रत्यावेदन उचित माध्यम से एक माह (01 माह) के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा सकते हैं। ताकि उनका नियमानुसार निस्तारण कर ज्येष्ठता सूची अनन्तिम रूप देते हुए जारी किया जा सके। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

### संलग्नक—यथोक्त

ह०/—  
(पी० गुरु प्रसाद)  
परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं०: (१)ई/2017—समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग—3, सचिवालय, लखनऊ।
- 2— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4— समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) उत्तर प्रदेश।
- 5— समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 6— समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) उत्तर प्रदेश।
- 7— सम्बन्धित यात्री/मालकर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— मुख्यालय पर तैनात समस्त यात्री/मालकर अधिकारी।

9— गार्ड फाइल / वैयक्तिक पत्रावली ।

हरू/-  
(एम०पी०सिंह)  
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशासन),  
उत्तर प्रदेश ।

**(खण्ड-1) यात्री/मालकर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची (अनन्तिम)**

रिट याचिका संख्या-1802(एस/बी)/2015 विजय किशोर आनन्द व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2017 एवं अवमाननावाद संख्या-1544(सी)/2017 में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 के अनुपालन में—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री—	गृह जनपद	जन्मतिथि	भर्ती का श्रोत	मूल संवर्ग	यात्री/मालकर अधीक्षक के पद नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारदा कुमार मिश्रा	इलाहाबाद	15.03.80	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13
2	सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल	जालौन	01.01.84	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13
3	भौलेन्द्र कुमार तिवारी	आजमगढ़	30.07.80	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13
4	संदीप कुमार	बस्ती	11.05.75	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13
5	इरशाद अली	गोण्डा	22.09.84	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13
6	आभा	अमेठी	02.08.76	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	06.08.13
7	केकी मिश्रा	अमेठी	02.03.84	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13
8	भौहपर किदवई	लखनऊ	20.06.86	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13
9	विजय किशोर आनन्द अनु०जाति	लखनऊ	18.11.76	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	05.03.14
10	अमित वर्मा अनु०जाति	हरदोई	28.12.81	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13
11	रविचन्द्र त्यागी अनु०जाति	जौनपुर	05.01.78	सीधी भर्ती	यात्री/मालकर अधिकारी	—	22.07.13

ह०/-

(पी० गुरु प्रसाद)  
परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

**(खण्ड-2) यात्री/मालकर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची (अनन्तिम)**

शासनादेश संख्या-1036/तीस-3-11-11जीई/2011, दिनांक 03.05.2011 द्वारा यात्री/मालकर अधीक्षक के पदों को यात्री/मालकर अधिकारी के पदों में सविलीन किये जाने के उपरान्त कार्यरत-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम सर्वश्री—	गृह जनपद	जन्मतिथि	भर्ती का श्रोत	मूल संवर्ग	यात्री/मालकर अधीक्षक के पद नियुक्ति की तिथि	संविलीनीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घनश्याम अनुजाति	इलाहाबाद	19.01.61	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	22.09.90	05.05.2011
2	डा० प्रतिज्ञा श्रीवास्तव	लखनऊ	01.09.69	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	17.01.01	05.05.2011
3	डा० ज्योति मिश्रा	जौनपुर	15.03.72	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	15.06.01	05.05.2011
4	रणबीर सिंह चौहान	प्रतापगढ़	05.09.74	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	15.06.01	05.05.2011
5	सुरेन्द्र सिंह	चित्रकूट	25.06.67	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	17.01.01	05.05.2011
6	महेश कुमार वर्मा	सिद्धार्थनगर	16.08.73	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	17.01.01	05.05.2011
7	कौशलेन्द्र प्रताप यादव	प्रतापगढ़	04.06.74	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	20.07.02	05.05.2011
8	राम बाबू (अनुजाति)	औरेया	10.05.72	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	20.02.01	05.05.2011
9	अनिल कुमार (अनुजाति)	अम्बेडकर— नगर	15.01.68	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	17.01.01	05.05.2011
10	सीमा गोयल (अनुजाति)	जालौन	05.11.72	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	20.07.02	05.05.2011
11	नारेन्द्र कुमार बाजपेयी	लखनऊ	10.08.58	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	21.01.04	05.05.2011
12	प्रमोद कुमार द्विवेदी	बांदा	30.06.59	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	21.01.04	05.05.2011
13	विनोद कुमार त्रुक्ला	कानपुर	28.07.58	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	21.01.04	05.05.2011
14	मानवेन्द्र प्रताप सिंह	आजमगढ़	15.07.75	संविलीनीकरण	यात्री/मालकर अधीक्षक	27.09.04	05.05.2011

15	विनय कुमार पाण्डेय	भदोही	23.05.73	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	06.09.04	05.05.2011
16	मनोज कुमार	गोण्डा	25.04.75	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	24.09.04	05.05.2011
17	विकास अस्थाना	उन्नाव	10.10.76	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	06.09.04	05.05.2011
18	योगेन्द्र कुमार यादव	जौनपुर	15.12.72	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	24.09.04	05.05.2011
19	दिनेश कुमार	फतेहपुर	08.07.79	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	06.09.04	05.05.2011
20	राकेश कुमार त्रिपाठी	उन्नाव	12.11.57	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	29.12.04	05.05.2011
21	कु0 अनीता वर्मा	सीतापुर	18.07.75	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	06.09.04	05.05.2011
22	सुधीर सिंह	चित्रकूट	20.02.76	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	06.09.04	05.05.2011
23	राकेश कुमार शर्मा	लखनऊ	20.04.58	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	29.12.04	05.05.2011
24	सूर्य प्रताप देव (अनुजाति)	संतकबीर नगर	02.10.74	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	01.11.04	05.05.2011
25	मिथ्लेश कुमार	चित्रकूट	15.10.58	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	29.12.04	05.05.2011
26	अभिनव कुमार चौधरी	महराजगंज	04.09.80	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	12.09.06	05.05.2011
27	शिव कुमार मिश्रा	जौनपुर	17.03.77	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	01.02.07	05.05.2011
28	आशुतोश कुमार उपाध्याय	आजमगढ़	01.01.77	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	01.02.07	05.05.2011
29	प्रमोद कुमार	इलाहाबाद	22.08.67	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	13.02.07	05.05.2011
30	स्मिता वर्मा	फैजाबाद	15.05.79	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	13.02.07	05.05.2011
31	राजेश्वर कुशवाहा	देवरिया	15.06.79	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	07.01.07	05.05.2011
32	प्रीति पाण्डेय	भदोही	26.09.76	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	13.02.07	05.05.2011
33	रेहाना बानो	लखनऊ	05.09.78	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर	07.01.07	05.05.2011

					अधीक्षक		
34	कन्हैया प्रसाद गुप्ता	बलिया	01.05.76	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	02.02.07	05.05.2011
35	वीरेन्द्र नाथ राजभर	आजमगढ़	01.10.73	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	13.02.07	05.05.2011
36	नीलम	इलाहाबाद	18.01.76	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	01.02.07	05.05.2011
37	रमेश चन्द्र	अम्बेडकरन गर	01.05.78	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	13.02.07	05.05.2011
38	राजेश सिंह कुशवाहा	बांदा	20.04.80	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	01.02.07	05.05.2011
39	अवध राज गुप्ता	बलिया	11.06.76	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	07.01.07	05.05.2011
40	संदीप कुमार जायसवाल	जौनपुर	02.07.77	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	13.02.07	05.05.2011
41	गोविन्द नारायण मिश्रा भूपू० सैनिक	कौशाम्बी	12.01.65	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	13.02.07	05.05.2011
42	अरविन्द कुमार जैसल अनु०जाति	गाजीपुर	01.06.72	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	20.02.07	05.05.2011
43	रामसागर अनु०जाति	जौनपुर	13.02.72	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	13.02.07	05.05.2011
44	विकान्त सिंह अनु०जाति	कानपुर	04.10.80	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	01.02.07	05.05.2011
45	कृष्ण घनश्याम संजय अनु०जाति	जौनपुर	02.05.72	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	07.01.07	05.05.2011
46	राजेश मोहन अनु०जाति	गाजीपुर	07.02.76	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	07.01.07	05.05.2011
47	आनन्द राय कुरील अनु०जाति	फतेहपुर	20.05.76	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	01.02.07	05.05.2011
48	राम सिंह	इटावा	05.04.59	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	27.07.09	05.05.2011
49	प्रदीप कुमार	देवरिया	01.12.58	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	27.07.09	05.05.2011
50	श्रीराम कश्यप	लखनऊ	03.06.64	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	27.07.09	05.05.2011
51	मो०आरिफ खाँ	लखनऊ	10.11.65	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	27.07.09	05.05.2011

52	अर्जुन कुमार श्रीवास्तव	लखनऊ	01.06.61	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	08.06.10	05.05.2011
53	जितेन्द्र कुमार दीक्षित	सीतापुर	01.04.64	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	08.06.10	05.05.2011
54	संजय शर्मा	लखनऊ	01.07.63	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	08.06.10	05.05.2011
55	हरेराम पाण्डेय	देवरिया	01.01.62	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	08.06.10	05.05.2011
56	रमेश कुमार (अनु० जाति)	लखनऊ	28.12.62	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 13.08.12	05.05.2011
57	मथुरा प्रसाद (अनु० जाति)	लखनऊ	05.07.65	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 13.08.12	05.05.2011
58	राजेन्द्र कुमार सिंह (अनु० जाति)	लखनऊ	02.03.62	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 13.08.12	05.05.2011
59	प्रेम चन्द्र (अनु० जाति)	उन्नाव	16.02.61	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 13.08.12	05.05.2011
60	मदन चन्द्र (अनु० जाति)	लखनऊ	15.11.69	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 13.08.12	05.05.2011
61	पुरुशोत्तम लाल वर्मा	बाराबंकी	03.08.59	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	08.06.10	05.05.2011
62	महादेव वर्मा	सीतापुर	01.03.61	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	08.06.10	05.05.2011
63	कमलेश कुमार (अनु० जाति)	लखनऊ	12.06.59	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 08.06.10	05.05.2011
64	राकेश मोहन (अनु० जाति)	लखीमपुर खीरी	01.7.63	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 08.06.10	05.05.2011
65	मुन्ना लाल (अनु० जाति)	लखनऊ	15.03.72	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	08.06.10	05.05.2011
66	दलबीर सिंह (अनु० जाति)	अलीगढ़	05.07.59	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 08.06.10	05.05.2011
67	सुरेन्द्र कुमार	फैजाबाद	29.11.57	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	08.06.10	05.05.2011
68	राजकुमार (अनु०जाति)	प्रतापगढ़	01.06.65	संविलीनीकरण	यात्री / मालकर अधीक्षक	पदानवत 08.06.10	05.05.2011

परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

**(खण्ड-3) यात्री / मालकर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची (अनन्तिम)**

यात्री / मालकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा कार्यरत

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम <b>सर्वश्री—</b>	गृह जनपद	जन्मतिथि	भर्ती कृं श्रोत	मूल संवर्ग	यात्री / मालकर अधीक्षक के पद नियुक्ति की तिथि	संविलीनीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बजंरग बली	हरदोई	01.12.58	पदोन्नति	प्रशासनिक अधिकारी	—	28.06.2017
2	उमाशंकर मिश्रा	प्रतापगढ़	12.08.64	पदोन्नति	प्रशासनिक अधिकारी	—	28.06.2017

ह0 /—

(पी० गुरु प्रसाद)  
परिवहन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।